दमा नं० 361 सन् 2015 अनवान गायत्री बनाम ~~टोडारा~~

| ारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पत्रावली पैश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ।<br>मु. से बाहर<br>पत्रावली दि० 10 5/10/17 को पेश हो। | |
| 5/10/17 | पत्रावली पैश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।<br>पत्रावली दि० 16.11.17 को पेश हो। [signature] | |
| 16/11/17 | वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आ। की रजिस्टर सम्मन पेश किये गये प्रतिवादीगण की तामील हेतु रजिस्टर सम्मन आवश्यक कर्य को पेश करे पत्रावली दिनांक 12/2/18 को पेश हो। [signature] | |
| 12.2.18 | पत्रावली पैश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब मु. से बाहर<br>पत्रावली दि० 20.4.18 को पेश हो। [signature] | |
| 20.4.18 | पत्रावली पैश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब मु. से बाहर<br>पत्रावली दि० 25.5.18 को पेश हो। [signature] | |
| 25/5/18 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत बैंच कोर्ट में पेश हुई वकील वादी ने निवेदन किया की वाद भूमि मुश्तरका खाता में हो है जो गांव के बिल्कुल नजदीक है प्रतिवादी मुश्तरका खाता की भूमि पूर्ण भूमि से सेपरेशन कराये बिना मोबाईल टॉवर लगाना चाहता व निर्माण करवाना चाहता है इसलिये छोरसायल को पाबन्द किया जावे की वह मुश्तरका खाता की भूमि में वादी के कब्जा काश्त की भूमि में कुछ भूमि को मध्य | [signature] |

| मुकदमा नं० | सन् | अनवान | बनाम |
|---|---|---|---|

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी |
|---|---|---|
| | में परिवर्तन, पक्षकार मोबाइल टॉवर नहीं लगवायें व वादी के कब्जा दखल में दखल नहीं करें।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया बाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज है जो वादी व प्रतिवादी के मुश्तरका कब्जा बाटे में है जिस पर प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि पर मोबाइल टॉवर लगाने के अधिकारी नहीं है कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण या मोबाइल टॉवर लगाने से पूर्व कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करवाया जाना आवश्यक है बिना कृषि परिवर्तन कृषि भूमि पर मोबाइल टॉवर लगाना विधि विरुद्ध है अतः वादी का स्वीकार योग्य है फलस्वरूप उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्सा एवं कब्जा बाटे के अनुसार कब्जा करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे किन्तु कृषि भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण / मोबाइल टॉवर रूपान्तरण करवाने के उपरान्त ही [illegible] अर्थात हक हिस्से की भूमि पर [illegible] पत्रावली फैसले शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो आदेश [illegible] आज के मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। [signature] | |